पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0

मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

लखनऊ : 17 जुलाई, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :–

वित्तीय वर्ष 2017–18 में पर्यटन विभाग द्वारा जारी स्वीकृतियों का विवरण मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया

- वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय–ज्ञाप सं0–8/2017/बी–1–1190/दस–2017–231/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट में प्रावधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये थे। उक्त कार्यालय–ज्ञाप के प्रस्तर–2 के उप प्रस्तर–18 में यह व्यवस्था दी गयी है कि एकमुश्त बजट व्यवस्था के समक्ष व्यय की नई योजनाओं के लिये वित्तीय स्वीकृतियों, उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा–94 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार योजना की कुल लागत पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी की जायेंगी तथा प्रशासकीय विभाग द्वारा पैरा–94 के अन्तर्गत जारी सभी स्वीकृतियों का विवरण मा0 मंत्रि–परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

- तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 में पर्यटन विभाग के अनुदान संख्या–44 के (क) लेखाशीर्ष–5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य– 104–संवर्धन तथा प्रचार–01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं–0107–स्वदेश दर्शन स्कीम के अन्तर्गत बौद्ध सर्किट, रामायण सर्किट तथा कृष्णा सर्किट–24–वृहत निर्माण कार्य (ख) लेखाशीर्ष–5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80– सामान्य– 104–संवर्धन तथा प्रचार–01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं–0115– डेस्टीनेशन/सर्किट डेवलपमेन्ट योजनान्तर्गत पर्यटन स्थलों का विकास–24–वृहत निर्माण कार्य (ग) लेखाशीर्ष–5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय– 80–सामान्य–104–संवर्धन तथा प्रचार–08–पर्यटन स्थलों का विकास–24–वृहत निर्माण कार्य में एकमुश्त प्रावधानित धनराशि एवं उसके सापेक्ष सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी की गयी स्वीकृतियों का विवरण मा0 मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

बॉर्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम, बुन्देलखण्ड पैकेज तथा त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत जारी वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में

1–बार्डर एरिया डेवलेपमेन्ट कार्यक्रम भारत सरकार की केन्द्रीय सहायता से वर्ष 1999 से संचालित है। इस योजना में नेपाल की अर्न्तराष्ट्रीय सीमा से लगे 07 जनपदों (यथा–खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्वार्थनगर, श्रावस्ती, महराजगंज एवं बलरामपुर) के 21 विकास खण्डों की अर्न्तराष्ट्रीय सीमा से सटे 0–20 किमी. के क्षेत्र में ग्रामीण सड़क एवं पुलिया निर्माण,सी. सी.रोड एवं नाली निर्माण, ग्रामीण पेयजल, सामुदायिक भवन का निर्माण, शौचालय निर्माण, प्राथमिक शिक्षा हेतु भवन निर्माण/शौचालय निर्माण एवं पेयजल/विद्युत सुविधा, ग्रामीण विद्युतीकरण, सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों के भवन निर्माण/विस्तार, आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण, सोलर लाइट/सोलर पम्प/सोलर पावर फेन्सिंग की स्थापना, वन रक्षक चौकी एवं वन दरोगा आवास निर्माण, बाढ़ शरणालय निर्माण, मिनी स्टेडियम का निर्माण, पशुपालन विभाग की परियोजनायें, अनुसूचित जाति आश्रम पध्दति विद्यालय की चहारदीवारी एवं परिसर में रोड निर्माण, बाढ़ सुरक्षा निर्माण/विस्तार, डेरी विकास की परियोजनायें, होम्योपैथी चिकित्सालय केन्द्रों के भवन निर्माण/विस्तार, एवं क्षेत्र के बेरोजगार युवको को कौशल विकास प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम से संचालित किये जा रहे हैं।

वर्ष 2017–18 में भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में रू. 38.00 करोड़ की धनराशि आंवटित एवं अवमुक्त की गई है। वर्ष 2017–18 में कुल गत वर्षो के राज्यांश को सम्मिलित करते हुये रू. 88.66 करोड़ धनराशि की उपलब्ध बजट व्यवस्था के सापेक्ष रू. 7752.20 लाख की वित्तीय स्वीकृति विकास कार्यो हेतु जारी की गई है।

2–बुन्देलखण्ड पैकेज

वर्ष 2009–10 में भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों यथा झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा तथा बांदा जनपदों के लिए 03 वर्ष की अवधि का एक सूखा राहत पैकेज दिया गया था। बाद में वर्ष 2012–13 के अंत में इसकी अवधि वर्ष 2016–17 तक के लिए बढ़ायी गयी थी। पैकेज के अन्तर्गत मुख्यतः जलसंरक्षण, सिंचाई तथा कृषकों के जीवन यापन के स्तर को ऊपर उठाना तथा पेयजल हेतु योजनायें संचालित हैं। वर्ष 2017–18 में राज्य द्वारा भारत सरकार से पैकेज की अवधि वर्ष 2021–22 तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया तथा पैकेज के अन्तर्गत वित्त पोषण हेतु रू. 4714.64 करोड़ के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये, जिसके सापेक्ष भारत सरकार से मार्च, 2018 के अंत में रू. 917.20 करोड़ की लागत की परियोजनायें अनुमोदित करते हुए धनराशि अवमुक्त की गई है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में बांदा कृषि विश्वविद्यालय परिसर में केन नदी से सिंचाई सुविधा परियोजना हेतु रू. 18.75 करोड़ की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है।

3– त्वरित आर्थिक विकास योजना

विभिन्न जनपदों में विकास कार्यों को त्वरित गति से कार्यान्वित करने हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना वित्तीय वर्ष 2012–13 से संचालित है। योजनान्तर्गत मुख्यतः पूँजीगत प्रकृतिक की अवस्थापना सुविधाओं यथा : शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, मार्ग/सेतु निर्माण,जल निकासी,चैम्बर्स निर्माण आदि मूलभूति सुविधाओं का विकास परिकल्पित है।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा सदन में की गई घोषणा के अनुपालन में मा0 सदस्य विधान सभा/मा0 सदस्य विधान परिषद हेतु (100–100 हैण्डपम्प) कुल 50300 हैण्डपम्पों हेतु धनराशि रू. 226.35 करोड़ की स्वीकृति निर्गत की गई। इसके साथ ही बुन्देलखण्ड में संभावित सूखे के दृष्टिगत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन 14 पाइप पेयजल परियोजनाओं के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु रू. 83.18 करोड धनराशि तथा बेहतर विद्युत आपूर्ति के लिये बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों में विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु धनराशि रू. 33.40 करोड की स्वीकृति निर्गत की गई। जनपद मिर्जापुर एवं सोनभद्र में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन 21 पाइप पेयजल परियोजनाओं के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु धनराशि रू. 22.01 करोड की स्वीकृति निर्गत की गई।

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2018 प्रख्यापित किए जाने के सम्बन्ध में

भारत सरकार द्वारा निर्गत निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को निरसित करते हुए विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निःशक्तजन अधिकार अधिनियम, 2016 (THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES ACT, 2016) प्रख्यापित किया गया है।

निःशक्तता से ग्रसित व्यक्तियों को निःशक्तजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–2(ZC) में परिभाषित किया गया है, उक्त अधिनियम, 2016 की धारा–34 में राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति के लिए निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए 04 प्रतिशत का आरक्षण का प्राविधान किया गया है एवं निःशक्तता को 05 श्रेणियों में विभक्त किया गया है।

भारत सरकार द्वारा निर्गत निःशक्तजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश की राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सरकारी स्थापन में नियुक्ति के लिए संदर्भित निःशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्तियों द्वारा भरे जाने के लिए आशयित पदों में से प्रत्येक समूह से प्रवर्ग में कुल रिक्तियों की संख्या का चार प्रतिशत से अन्यून संदर्भित निःशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

जिसमें प्रत्येक एक प्रतिशत निम्नवत् खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन संदर्भित निःशक्तताओं के साथ व्यक्तियों के लिए आरक्षित करेगी तथा एक प्रतिशत खण्ड (घ) तथा (ड़) के अधीन संदर्भित निःशक्तता के साथ व्यक्तियों के लिए आरक्षित किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

(क) अंध और निम्न दृष्टि;
(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास;
(ग) चलन निःशक्तता जिसके अंतर्गत प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, अम्ल आक्रमण पीड़ित और पेशीय दुष्पोषण भी है;
(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता;
(ड़) खण्ड (क) से खण्ड (घ) के अधीन व्यक्तियों में से बहुनिःशक्तता जिसके अंतर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए पहचान किए गए पदों में बधिर, अंधता भी है।

अनपरा 'द' (2X500 मे0वा0) तापीय परियोजना पर FGD की स्थापना एवं उक्त हेतु परामर्शी सेवा पर होने वाले व्यय की कार्ययोजना अनुमोदित

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 07.12.2015 को निर्गत की गयी अधिसूचना में पर्यावरण के लागू किये गये नये मानकों के अनुसार उत्पादनरत तापीय इकाईयों को सल्फर डायोक्साइड की मात्रा 600 mg/Nm^3 तक सीमित रखनी है। इस हेतु प्रथम चरण में उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 की अनपरा 'द' (2×500 मे0वा0) तापीय परियोजना पर FGD की स्थापना एवं उक्त हेतु परामर्शी सेवा पर होने वाले व्यय रू0 640.4015 करोड़ (जी0एस0टी0 सहित) की कार्ययोजना पर अनुमोदन।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन एवं इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों के लिए उदय योजना के अन्तर्गत 4722 करोड़ रु0 की शासकीय प्रत्याभूति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में

उदय योजना के प्रस्तर 8.4 के प्राविधानों के अंतर्गत उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं इसकी सहयोग वितरण कम्पनियों द्वारा वित्तीय संस्थाओं से लिये गये एवं भविष्य में ली जाने वाले कार्यशील पूंजी ऋण हेतु रू0 4722 करोड़ की शुल्क रहित शासकीय प्रत्याभूति उपलब्ध कराये जाने से विद्युत वितरण निगमों को अपने परिचालन हेतु कार्यशील पूंजी प्राप्त हो सकेगी। कार्यशील पूंजी की प्राप्ति से प्रदेश को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में सहायता प्राप्त होगी।

उ0प्र0 अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली–2018 के प्रख्यापन का निर्णय

मा0 मंत्रि-परिषद द्वारा उ0प्र0 अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा नियमावली-2016 पर पूर्व में विचार किया गया था, जिसके आधार पर अधिसूचना दिनांक 15.03.2016 निर्गत की गयी थी। उक्त नियमावली के नियम-8 शैक्षिक अर्हता फायरमैन हेतु भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा दसवीं एवं बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष शैक्षिक अर्हता होनी आवश्यक है का उल्लेख था। उक्त नियमावली के नियम-15 में यह उल्लिखित था कि सीधी भर्ती की प्रक्रिया के संबंध में फायरमैन के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया वैसी होगी जैसी प्रक्रिया तत्समय प्रचलित नियमों के अनुसार सीधी भर्ती के लिए आरक्षी उ0प्र0 पुलिस की होगी। उ0प्र0 पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवानियमावली -2015 यथा संशोधित-2017 में आरक्षी पुलिस की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट निर्धारित है।

2. तद्नुसार ही उ0प्र0 अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली-2018 के अनुसार संशोधित करते हुये फायरमैन की शैक्षिक योग्यता परिवर्तित की जानी है। संशोधित नियमावली के अधिसूचित होने के उपरान्त अग्निशमन सेवा में बाधित नियुक्तियों को सम्पन्न किये जाने का मार्ग प्रशस्त होगा। उक्त के फलस्वरूप लम्बे समय से बडी संख्या में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ हो सकेगी।

———————.